(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 481—तीन/2011 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 05—01—2011 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, के प्रकरण क्रमांक 58/2009—2010/निग0

.....

1— हरोसीलाल
2— लल्लीराम, पुत्रगण लक्ष्मणसिंह
निवासीगण ग्राम—पचलाना
तहसील ईसागढ, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— सुमित्रा पत्नी स्व0 भबूतसिंह
2— राजासिंह
3— घारूसिंह
4— रामराजा, पुत्रगण भबूतसिंह
5— सुश्री बिन्ताबाई
6— सुश्री किशनबाई
7— सुश्री गुड्डीबाई
8— सुश्री राजकुमारी, पुत्रियां भबूतसिंह
निवासीगण —ग्राम पचलाना
तहसील ईसागढ, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-01-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/2009—2010/निग0 में पारित आदेश दिनांक 05—01—2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि आवेदक लल्लीराम यादव द्वारा ग्राम पचलाना स्थित प्रष्नाधीन भूमि सर्वे कंमाक 344 रकवा 0.157 हैक्टर, 348 रकवा 0.199 हैक्टर, 465 रकवा 1.724 हैक्टर, 466 रकवा 1.170 हैक्टर, 471 रकवा 2.968 हैक्टर, 541/1 रकवा 0.251 हैक्टर, 584 मिन रकवा 4.400 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 10.869 हैक्टर सामिलाती भूमि है, जिसमें उसका हिस्सा 1/8, अनावेदकगण का हिस्सा 1/4, श्रीमती बेनाबाई पुत्री कल्याण सिंह का हिस्सा, 1/2, भरोसीलाल का हिस्सा 1/8 है । पूंर्व में वादग्रस्त भूमि का वाहमी बटवारा हो चुका है तथा वाहमी बटवारे से प्राप्त भूमि पर फसल का लाभ लिया जा रहा । शेष भूमि अन्य खाते से आवेदक व अनावेदकों को हिस्से अनुसार प्राप्त हुई है । नायब तहसीलदार वृत्त सारसखेड़ी तहसील ईसागढ़ के समक्ष उक्त वादग्रस्त भूमि का बटवारा किया जाने बावत् आवेदन–पत्र पेश किया गया । नायब तहसीलदार वृत्त सारसखेड़ी तहसील ईसागढ़ ने प्रकरण कंमाक 14/अ–27/2008–09 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत लेख किया कि अनावेदकों द्वारा आवेदक के हिस्से में बटवारा की मांग की गई है, जिसस पर आवेदक द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। अतः आदेश दिनांक 25.02.2002 पारित करके वादग्रस्त भूमि का बटवारा किया जाता है । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर को होने पर प्रकरण कमांक 77/2001–02 में परित आदेश दिनांक 31.05.2002 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में अपील होने पर प्रकरण कमांक 485/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2003 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर, प्रकरण पुनः जांच एवं सुनवाई हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस आने पर पक्षकारों की सुनवाई उपरातं आदेश दिनांक 16.12.2004 पारित किया गया तथा वादग्रस्त भूमि का बटवारा कर दिया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा पुनः अपील अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष पेश की गई जो प्रकरण कमांक 42/2004–05/ अपील माल में दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 30.10.2009 से तैयार कराई गई फर्द अनुसार बटवारा स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ पुनः प्रत्यावर्तित किया गया कि आदेशानुसार पटवारी का अभिलेख अमल कराया जावे । इस आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रकरण क्रमांक 58/2009–10/निगरानी पर दर्ज

कर पारित आदेश दिनांक 05.01.2011 में अपील स्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2009 को त्रुटिपूर्ण मानकर निरस्त किया गया । अपर आयुक्त ग्वालियर के आदेश दिनांक 05.01.2011 के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपर आयुक्त ग्वालियर ने अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के अभिलेख पर आधारित एवं न्यायोचित आदेश को निरस्त करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है । अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के पश्चात तहसीलदार ने फर्द बटवारा मंगायी परन्तु फर्द के अनुसार बटवार न करते हुये आवेदकों को उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि से ही वंचित कर दिया गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण माना है । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील द्वारा प्राप्त की गई फर्द के अनुसार बटवारा किया था । संहिता की धारा–178 के नियमों के अनुसार फर्द प्राप्त की जाना तथा उसके अनुसान आपत्तियां सुनकर बटवारा किया जाना आवष्यक है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि बेनाबाई की भूमि को आधार बनाकर अपर आयुक्त ने जो आदेश दिया है वह पूर्णतः मनमाना तथा अवैध है । तहसीलदार आदेश में आवेदक लल्लीराम को बटवारे में कोई भूमि नहीं दी गई, जबकि फर्द बटवारे में स्वत्व के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार को भूमि बटवारे में दी जाना प्रस्तावित थी । अपर आयुक्त ने बटवारे हेतु प्रस्तावित कृषि खाते की प्रविष्टि को अंदेखा किया है । जिस सहखातेदार का जितना भाग प्रविष्ट था, उसी के अनुसार उसे भूमि प्राप्त करने की पात्रता आती है । उत्तराधिकारियों की संख्या के आधार पर बटवारा किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का परिशीलन किया, जिसमें पाया कि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 485/2001–02/अपील में पारित आदेश दिनांक 06.06.2003 से तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर प्रकरण पुर्नजांच व

सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया तथा उभयपक्ष को सुनवाई करते हुये तथा प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार को साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 16.12.2004 से वादग्रस्त भूमि का बटवारा उनके घरेलू बटवारे एवं मौके पर कब्जे की स्थिति के अनुसार खतोनी तैयार कराकर किया है । इसके विपरीत अनुविभगीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.10.2009 के अवलोकन से पाया गया कि उन्होंने नायब तहसीलदार के आदेश को इसलिये निरस्त कर स्व–स्तर से बटवारा है कि नायब तहसीलदार ने आवेदक लल्लीराम को दी गई भूमि का कोई हिस्सा तथा सर्वे नंबर व रकबे का उल्लेख नहीं किया । इसके ठीक विपरीत नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 16.12.2004 के अनुसार लल्लीराम की ओर से उसके हितों के सम्बर्द्धन हेतु उपस्थित अभिभाषक ने पैरबी कर आदेश के पैरा 7 में उसके कथन में बताये गये कब्जे वाली भूमि का जिक्र अनुसार आदेश के अंत में लल्लीराम को खतौनी में दर्शित उसके भाग की तथा बैनाबाई द्वारा स्वयं के भाग की स्वेच्छा से छोड़ी गई भूमि को आवेदक के भाग में सम्मिलित कर बटवारे में दी है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी ने जानबूझकर वास्तविकता के विपरीत गलत अर्थ निकालते हुये अन्य सहभागीदारों के कब्जे की भूमियों को एक–दूसरे के भू–भाग में देने की त्रुटि करना पाया गया है । नायब तहसीलदार ने आवेदक के कथन अनुसार बताई गई एवं खतौनी में वर्णित भूमि के अलावा बैनाबाई द्वारा लल्लीराम को समर्पित भूमि सम्मिलित कर बटवारे में दी है । इस प्रकार अनुविभगीय अधिकारी अशोकनगर का आदेश वास्तविकजा के विपरीत पाये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपर आयुक्त ग्वालियर ने अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2009 त्रुटिपूर्ण एवं विधि के अनुकूल होने से निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2011 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर